न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारीः– लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 130/2022

लीलाराम पुत्र स्व0 गणपतराम, जाति अहीर, निवासी रायपुर अहीरान, तहसील बुहाना, जिला झुंझुनू राज0।

–– आवेदक

बनाम

1. मीना देवी पत्नी पिन्टु, जाति अहीर, निवासी रायपुर अहीरान, तहसील बुहाना, जिला झुंझुनूं।
2. संजोकता देवी पत्नी मिन्टू, जाति अहीर, निवासी रायपुर अहीरान, तहसील बुहाना, जिला झुंझुनूं।
3. राममेहर पुत्र रामजीलाल, जाति अहीर, निवासी रायपुर अहीरान, तहसील बुहाना, जिला झुंझुनूं।
4. लैण्ड होल्डर, तहसीलदार बुहाना, तहसील कार्यालय बुहाना, जिला झुंझुनूं राज0।
5. श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय, बुहाना, जिला झुंझुनूं।

–– अनावेदक

प्रार्थना पत्र मुन्तकिली मुकदमा विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी बुहाना उनवानी दावा लीलाराम बनाम मीना वगैरह दावा बाबत इस्तकरारहक, दुरूस्ति रेकार्ड व स्थाई निशेधाज्ञा मु0न0 145/2019 तारीख पेशी 22.4.2022

– – –

उपस्थितः–

1. श्री राजेश कुमार सुण्डा, अभिभाषक– आवेदकगण की ओर से उपस्थित।
2. श्री राजेश बागोरिया, अभिभाषक – अनावेदक सं0 1 लगायत 3 की ओर से उपस्थित।
3. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक– अनावेदक संख्या 4 व 5 की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक 18.07.2022

प्राथी/वादी की ओर से प्रार्थना पत्र प्रकरण मुन्तकिली नीचे लिखे अनुसार पेश है कि प्रार्थी ने उक्त उनवानी दावा अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी महोदय बुहाना के समक्ष पेश किया था कि तहसील बुहाना कें रायपुर अहीरान मे भूमि खसरा नम्बर 1089 रकबा 0.61 है0 तथा ख0न0 1090 रकबा 0.67 है कुल किता 2 कुल रकबा 1.28 है वादी/प्रार्थी के पिता स्व0 गणपतराम के खातेदारी काश्त की थी तथा उक्त ख0न0 के पुराना ख0न0 736 रकबा 5 बीघा 1 बिस्वा थे। दोनों ही ख0न0 के बीच में कोई सीमा नही है ओर वादी/प्रार्थी उनको काश्त करता है परन्तु रेवेन्यू कर्मचारियो की भूल से ख0न0 735 रकबा 2 बीघा 13 [illegible] प्रार्थी के कुटुम्ब के ही एक व्यक्ति रामनारायण पुत्र धनसी के नाम से दर्ज [illegible] 735 [illegible] से कोई नया ख0न0 नही बना। जिसके रेकार्ड दुरूस्ति व घोषणा के लिये आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत की गई दावा की प्रमाणित प्रति में दर्ज अनुसार प्रार्थी ने रेकार्ड दुरूस्ति [illegible] व उसके साथ ही अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र मु0न0 114/2019 अनावेदक गण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने के लिये दिनांक 17.05.2019 को प्रस्तुत किया व आवेदक की ओर से ऐक्सपार्टी स्थगन के लिये निवेदन किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.08.03 17:29:53 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

परन्तु अदालत मातहत ने स्थगन की प्रार्थना स्वीकार नही की व प्रकरण में तलबी के लिये आगामी तारीख पेशी 17.09.2019 नियत कर दी। अनावेदकगण 1 लगा 3 प्रभावशाली व्यक्ति है तथा पीठासीन अधिकारी महोदय को अपने असर में ले लिया तथा पीठासीन अधिकारी भी अनावेदकगण 1 लगा 3 की राजनैतिक पहुंच व अन्य असम्यक असर में आ गये। प्राथी शिक्षा विभाग से रिटायर्ड कर्मचारी है तथा सीधा सादा व्यक्ति है जो कानून व न्यायालय पर विश्वास रखने वाला व्यक्ति है। इस प्रकार से पीठासीन अधिकारी महोदय प्रतिवादीगण 1 लगा 3 के असर में आकर दिनांक 17.09.2019 में कांट छांट कर प्रकरण को नियत तारीख से पूर्व ही 12.09.2019 को जवाब प्रार्थना पत्र व जवाबदावा लेकर प्रार्थना पत्र अस्थाई निशेधाज्ञा मु0न0 114/2019 का फैसला प्रार्थी को बिना सुने ही कर प्रार्थना पत्र को खारीज कर दिया तथा प्रकरण दावा में प्रतिवादीगण की ओर से उपस्थित वकील का या जवाब का कोई हवाला नही दिया। श्रीमान जी दिनांक 12.09.2019 व दिनांक 17.05.2019 की आदेशिका का अवलोकन करेंगे तो देखेंगे कि दिनांक 17.05.2019 की आदेशिका मे तारीख में कांट छांट कर रखी है तथा दिनांक 12.09.2019 की आदेशिका तलबी में नियत है उक्त तारीख पेशी में प्रतिवादीगण के जवाब का कोई हवाला नही है ओर ना ही किसी अधिवक्ता की उपस्थिति है जबकि पत्रावली में 1 लगा0 3 का जवाब शामिल है जवाब पर भी कोई तारीख अंकित नही है इस प्रकार से गलत प्रक्रिया अपना कर पीठासीन अधिकारी ने अनावेदकगण 1 लगा 3 को नाजायज फायदा पहुंचाने की गरज से अनुचित प्रक्रिया अपनाई है। उक्त प्रकार से अनुचित प्रक्रिया अपना कर की गई कार्यवाही के विरूद्ध अपनी शिकायत लेकर प्रार्थी अपने अधिवक्ता के साथ पीठासीन अधिकारी के समक्ष पेश हुआ तो श्रीमान पीठासीन अधिकारी अदालत मातहत ने प्रार्थी की एक नही सुनी व कहा कि मेने तो फैसला कर दिया है आपके समझ आये वो करो तथा प्रतिवादीगण 1 लगा0 3 ने भी कहा कि बुहाना में कोई भी पीठासीन अधिकारी आये वो हमारे कहने के अनुसार ही कार्य करेगा हमारी उंची पहुंच है। तब प्रार्थी ने नकल लेकर मु0न0 114/2019 में दिये गये निर्णय की अपील श्रीमान राजस्व अपील अधिकारी के समक्ष पेश की वह अपील दिनांक 06.09.2021 को मु0न0 75/2019 स्वीकार हुई तथा अनावेदकगण 1 लगा0 3 को अपील अधिकारी ने जरिये अस्थाई निशेधाज्ञा से पाबन्द किया। अनावेदकगण 1 लगा0 3 अजमेर रेवेन्यू बार्ड में भी उक्त आर्डर के खिलाफ गये परन्तु वहां से भी अनावेदकगण को कोई राहत नही मिली है। इस प्रकार से पीठासीन अधिकारी महोदय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बुहाना प्रिज्यूडिस है तथा प्रार्थी को उपखण्ड अधिकारी बुहाना से न्याय की उम्मीद नही है। उसके बाद प्रार्थी ने एक अन्य दावा लीलाराम बनाम कृष्णा मु0न0 132/2021 व दावा के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा मु0न0 177/2021 प्रस्तुत किया तथा अस्थाई निषेधाज्ञा के लिये निवेदन किया तो पीठासीन अधिकारी महोदय भडक गये व प्रार्थी को न्यायालय से बाहर निकाल दिया व प्रकरण में लम्बी तारीख नियत कर दी। उक्त प्रकरण के अनावेदक बलबीर ने प्रार्थी के खिलाफ एक शिकायत प्रार्थना पत्र दिया जिस पर प्रार्थी के खिलाफ एक परिवाद अन्तर्गत धारा 107, 116(3), 151 जा0फौ0 का अदालत मातहत के समक्ष पेश किया जिसकी निगरानी प्रार्थी ने श्रीमान अपर सेशन न्यायाधीश खेतडी में की जो दर्ज रजिस्टर कर मिसल तलब कर ली गई। प्रार्थी ने निगरानी की आदेशिका भी अदालत मातहत के पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दी थी उसके बावजूद भी अदालत मातहत के पीठासीन

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.08.03 17:29:53 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

अधिकारी ने प्रार्थी के खिलाफ गिरफ्तारी वारण्ट जारी कर दिया। इस प्रकार से पीठासीन अधिकारी महोदय प्रार्थी के साथ न्याय नही कर रहे है तथा प्रिज्युडिस है प्रार्थी को अदालत श्रीमान जी के पीठासीन अधिकारी सहायक कलेक्टर, उपखण्ड अधिकारी व उपखण्ड दण्डनायक बुहाना से न्याय की उम्मीद नही है इस कारण से प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत उक्त प्रकरण विधिनुसार निस्तारण के लिये अन्य उपखण्ड अधिकारी के समक्ष पत्रावली मुन्तकिल फरमाई जानी न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत मुन्तकिली प्रकरण स्वीकार किया जाकर प्रकरण सं0 145/2018 उनवानी लीलाराम बनाम मीना देवी का अन्य सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय में मुन्तकिल फरमाया जावे। प्रार्थी व अप्रार्थीगण की सहुलियत के हिसाब से न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी ठीक पडता है प्रकरण को उक्त अदालत मे अन्तरिम कर दिया जाता है तो प्रार्थी को सुविधा रहेगी ताकि प्रार्थी को न्याय मिल सके प्रार्थी की अदालत श्रीमान जी से यही विनम्र प्रार्थना है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना से वस्तुस्थिति का तथ्यात्मक प्रतिवेदन मंगवाया गया तथा अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना ने पत्रांक 174 दिनांक 31.05.2022 द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत कर अवगत कराया कि प्रार्थना पत्र का खण्ड 1, 2, 3, 4, 5, 6 अस्वीकार है। आवेदकगण स्वयं सिद्ध करे। प्रार्थना पत्र का खण्ड 7 स्वीकार है। खण्ड 8 (1)(2)(3)(4) यह कि प्रार्थना पत्र का खण्ड संख्या 7(1), आंशिक स्वीकार है। यह सही है कि आवेदकगण द्वारा इस न्यायालय में मुकदमा नम्बर 132/2021 दावा बाबत घोषणत्मक, रिकार्ड दुरूस्ती व प्रार्थना–पत्र संख्या 177/2021 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत 212 आरटी एक्ट पेश किया गया। किन्तु यह सरासर गलत है कि प्रकरण आगामी तारीख पेशी दिनांक 17.05.2019 कर दिया गई जबकि उक्त प्रकरण दिनांक 08.09.2021 को ही पेश हुआ है। हां यह सही है कि आवेदकगण द्वारा एक अन्य प्रकरण दावा संख्या 145/2019 बउनवानी लीलाराम बनाम मीना आदि एवं प्रार्थना पत्र संख्या 114/2019 बउनवानी लीलाराम बनाम मीना आदि दिनांक 13.08.2019 को पेश किया गया था। जब आवेदकगण द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 13.08.2019 को ही पेश किया गया था तो आदेशिका में कांट छांट कर दिनांक 17.05.2019 पेशी नियत की जा सकती थी। प्रकरण दिनांक 13.08.2019 दर्ज रजिस्टर किया जाकर तामील हेतु दिनांक 12.09.2019 ही नियत की गई थी। प्रार्थना पत्र में कुल तीन अप्रार्थीगण पक्षकार है। तीनो की ओर से दिनांक 12.09.2019 को जबाव प्रस्तुत कर उभय पक्षकारान द्वारा बहस हेतु निवेदन किया गया है। विधिसम्वत बहस सुन कर ही प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा का निस्तारण किया [illegible] किसी प्रकार कोई भेदभाव व पक्षपात नही किया गया। न्यायालय द्वारा तारीख पेशी [illegible] कार की कोई कांट छांट नही की गई है। यह कि प्रार्थना पत्र कतई [illegible], आधारहीन [illegible] से स्वीकार नही हैं। प्रार्थी व अप्रार्थीगण का आपसी मामला है। स्वयं [illegible] अंकित तथ्य आधारहीन हैं। अधोहस्ताक्षरकर्ता का किसी राजनैतिक व पार्टी से [illegible] संबंध सरोकार एवं दबाव नही है। अधोहस्ताक्षरकर्ता प्रकरण में निष्पक्ष होकर न्यायसंगत एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य/दस्तावेज के आधार पर निर्णय करते है। अतः प्रार्थन पत्र जबाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि अंकित तथ्य आधारहीन

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.08.03 17:29:53 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

है। अधोहस्ताक्षरकर्ता का किसी राजनैतिक व पार्टी से कोई संबंध सरोकार एवं दबाव नही है। अधोहस्ताक्षरकर्ता प्रकरण में निष्पक्ष होकर न्यायसंगत एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य/दस्तावेज के आधार पर निर्णय करते है। फिर भी यदि न्यायालय श्रीमानजी उचित समझते है तो प्रकरण को स्थानान्तरण करते है तो इस न्यायालय को कोई आपति नही है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी अभिभाषक ने दौरान बहस प्रार्थना में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि अनावेदकगण 1 लगा 3 प्रभावशाली व्यक्ति है तथा पीठासीन अधिकारी महोदय को अपने असर में ले लिया तथा पीठासीन अधिकारी भी अनावेदकगण 1 लगा 3 की राजनैतिक पहुंच व अन्य असम्यक असर में आ गये। प्राथी शिक्षा विभाग से रिटायर्ड कर्मचारी है तथा सीधा सादा व्यक्ति है जो कानून व न्यायालय पर विश्वास रखने वाला व्यक्ति है। इस प्रकार से पीठासीन अधिकारी महोदय प्रतिवादीगण 1 लगा 3 के असर में आकर दिनांक 17.09.2019 में कांट छांट कर प्रकरण को नियत तारीख से पूर्व ही 12.09.2019 को जवाब प्रार्थना पत्र व जवाबदावा लेकर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मु0न0 114/2019 का फैसला प्रार्थी को बिना सुने ही कर प्रार्थना पत्र को खारीज कर दिया तथा प्रकरण दावा में प्रतिवादीगण की ओर से उपस्थित वकील का या जवाब का कोई हवाला नही दिया। श्रीमान जी दिनांक 12.09.2019 व दिनांक 17.05.2019 की आदेशिका का अवलोकन करेंगे तो देखेंगे की दिनांक 17.05.2019 की आदेशिका मे तारीख में कांट छांट कर रखी है तथा दिनांक 12.09.2019 की आदेशिका तलबी में नियत है उक्त तारीख पेशी में प्रतिवादीगण के जवाब का कोई हवाला नही है ओर ना ही किसी अधिवक्ता की उपस्थिति है जबकि पत्रावली में 1 लगा 3 का जवाब शामिल है जवाब पर भी कोई तारीख अंकित नही है इस प्रकार से गलत प्रक्रिया अपना कर पीठासीन अधिकारी ने अनावेदकगण 1 लगा 3 को नाजायज फायदा पहुंचाने की गरज से अनुचित प्रक्रिया अपनाई है। पीठासीन अधिकारी महोदय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बुहाना प्रिज्यूडिस है तथा प्रार्थी को उपखण्ड अधिकारी बुहाना से न्याय की उम्मीद नही है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत मुन्तकिली प्रकरण स्वीकार किया जाकर प्रकरण सं0 145/2018 उनवानी लीलाराम बनाम मीना देवी का अन्य सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय में मुन्तकिल फरमाया जावे। प्रार्थी व अप्रार्थीगण की सहुलियत के हिसाब से न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी मे उक्त प्रकरण को अन्तरित किया जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

वकील अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 ने वकील प्रार्थीगण के कथनों का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि अदालत मातहत मे नियमानुसार सुनवाई की जा रही है। फिर भी यदि प्रकरण सं0 145/2018 उनवानी लीलाराम बनाम मीना देवी को अन्य सक्षम न्यायालय मे स्थानान्तरण किया जाता है तो उन्हे कोई आपत्ति नही है। परन्तु वकील प्रार्थीगण के कथनानुसार उक्त प्रकरण को सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी मे अन्तरित न किया जाकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतडी मे अन्तरित किया जावे क्योंकि उक्त प्रकरण मे महिलायें पक्षकार है एवं उदयपुरवाटी की दूरी भी अधिक है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.08.03 17:29:53 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर झुन्झुनू

राजकीय अभिभाषक अप्रार्थीगण सं0 4 व 5 ने वकील प्रार्थी के कथनों का विरोध किया तथा तर्क प्रस्तुत किया कि प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र मे मुकदमा अन्तरण हेतु कोई ठोस कारण व आधार नही बताया है। अदालत मातहत द्वारा प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा उपखण्ड अधिकारी बुहाना द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन का भी अवलोकन किया जिसके अनुसार प्रकरण अन्यत्र स्थानान्तरित करने में कोई आपति नही होना बताया है। पक्षकारों को उचित न्याय मिले व न्याय होता हुवा भी प्रतीत हो उनके मन में पीठासीन अधिकारी के प्रति कोई शंका न हो, इस तथ्य को ध्यान मे रखते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर मुकदमा संख्या 145/2018 उनवानी दावा लीलाराम बनाम मीना देवी वगैरह दावा बाबत इस्तकरारहक, दुरूस्ति रिकार्ड व स्थाई निषेधाज्ञा उपखण्ड अधिकारी बुहाना के न्यायालय से उपखण्ड अधिकारी खेतडी के न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने का आदेश दिया जाता है। उपखण्ड अधिकारी बुहाना मुकदमा संख्या 145/2018 उनवानी दावा लीलाराम बनाम मीना देवी वगैरह दावा बाबत इस्तकरारहक, दुरूस्ति रिकार्ड व स्थाई निषेधाज्ञा को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतडी को भिजवा देवे। निर्णय की प्रति दोनों न्यायालय को प्रेषित हो। पक्षकार सुनवाई हेतु उपखण्ड अधिकारी खेतडी के न्यायालय में दिनांक 18.08.2022 को उपस्थित होवें। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 18.07.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल0एस0कुडी)

जिला कलक्टर, झुंझुनूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.08.03 17:29:53 IST
Reason: SelfAttested